

न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक
(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

176 / 2011
26.05.2011

चन्द्रप्रकाश पुत्र हिरानन्द जाति सिन्धी निवासी देवली तहसील देवली जिला-टोंक
राज0

..... प्रार्थी

बनाम

- 1-सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
- 2-तहसीलदार देवली जिला-टोंक
- 2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

- उपस्थित (1) श्री सरवर अली, अभिभाषक प्रार्थी अनुपस्थित
(2) श्री रामअवतार सोनी अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-3

निर्णय

दिनांक 20-10-2021

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण में ग्राम पनवाड़ तहसील पीपलू की भूमि ख0नं0 46 में से 1400 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा 149580/रुपये बारानी-1 भूमि मानकर निर्धारण किया गया है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि ओद्योगिक कार्य के लिए रूपान्तरित होना बताया है। प्रार्थी की भूमि का मुआवजा प्रार्थी को सुने बिना बहुत कम निर्धारित किया गया है। भूमि का मुआवजा वाणिज्यिक डीएलसी दर का आंकलन निर्धारण करने के बजाय बारानी-1 भूमि की दर का मुआवजा निर्धारण किया गया है। अतः अवार्ड दिनांक 25-6-2010 को अपास्त कर बारानी-1 भूमि के स्थान पर ओद्योगिक भूमि की दर से भूमि का मुआवजा निर्धारण कर राशि दिलाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 2259/2009 दिनांक 25-6-2010 तलब की गई। अभिभाषक प्रार्थी अनुपस्थित रहे अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा जवाब व लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

अप्रार्थी संख्या 3 ने लिखित बहस में अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख0नं0 2385/346 में से 1400 वर्गमीटर ग्राम

- 729 -



आ.जि.ट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
-टोंक (राज.)

पनवाड़ तहसील देवली अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात प्रार्थी को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो गई। प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बारानी-1 राजस्व रिकार्ड में अंकित थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-3 की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 अति० जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अवार्ड संख्या 2259/2009 दिनांक 25-6-2010 से प्रार्थी की भूमि ख०नं० ख०नं० 46 में से 1400 वर्गमीटर किस्म बारानी-1 का डी.एल.सी. दर से ग्राम पनवाड़ का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का 149580/रु० निर्धारण कर नियमानुसार हितबद्ध व्यक्ति के नाम जमा किया गया है। अधिसूचना के प्रकाशन के समय अधिग्रहित उक्त भूमि औद्योगिक रूपान्तरित न होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि की किस्म बारानी-1 दर्ज थी। प्रार्थी द्वारा औद्योगिक भूमि की दर से मुआवजा चाहा गया है, परन्तु औद्योगिक भूमि के संबंध में संपरिवर्तन आदेश तथा अन्य साक्ष्य-सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी की नकल सं० 2067-2070 के प्रति पेश की है उसमें भी भूमि की किस्म बारानी-1 ही अंकित है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20-10-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(चिन्मयी गोपाल)
 आरक्षी/डिप्टी जिला कलेक्टर
 (जिला कलेक्टर)
 टोंक (रा.ब.)